डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय उपसभापति महोदया, ऐसी कौन सी आवश्यकता आ पड़ी जिसके कारण दिल्ली महानगर परिषद ने हाल ही में पट्टा प्रणाली को समाप्त करने की मांग की है और सरकार उस पर विचार कर रही है? इसके साथ ही मैं यह भी चाहूंगा कि विचार किस दिशा में चल रहा है, यह भी माननीय मंत्री महोदया बताने की कृपा करें।

श्रीमती मोहसिना किदवई : महोदया, जैसा मैंने पहले कहा यह सवाल मुख्य रूप से लीज होल्ड को फ्री होल्ड में कन्वर्ट करना है। दिल्ली में तीन तरह की जमीनें हैं। नजूल लीज है, रिहैबिलिटेशन लीज है और डी०डी० ए० की लीज वाली जमीनें हैं। उनके बारे में विचार हो रहा है कि कौन सी लैंड फ्री होल्ड करनी चाहिए और खास तौर से जो रिहैबिलिटेशन लीज है उसके बारे में बहुत ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि बहुत छोटी छोटी जमीनें हैं; छोटे छोटे लोगों के पास हैं, उनको दिक्कतें होती हैं। उनकी परेशानियों को मुद्देनजर रखते हुए सारी प्रपोजल्स जो आ रही हैं उनके बारे में उम्मीद है कि जल्दी कोई फैसला हो जाएगा।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय उपसभापति महोदया, दिल्ली विकास प्राधिकरण की या जो धार्मिक जमीन है उस पर लोग नाजायज तौर से कब्जा कर लेते हैं। उनसे इस जमीन को छुड़ाने के लिए क्या मास्टर प्लान में सुधार करने का सरकार विचार कर रही है?

श्रीमती मोहसिना किदवई : महोदया, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है मास्टर प्लान में सुधार करने का, उसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: A demand for abolition of leasehold has been made by defferent quarters for Chandigarh also. I would like to know from the hon. Minister whether that is also under consideration, active consideration, of the Government and whether in working out the modalities thereof, the public men would also be associated with the exercise.

श्रीमती मोहसिना किदवई : यह सजेशन जो बंसल साहब ने दिया है उसको मैं देखूंगी और जो चीज अच्छी है उसको करने की कोशिश की जाएगी।

डा० (श्रीमती) नजमा हेपतुल्ला : माननीया, मैं मंत्री जी से यह सवाल करना चाहती हूं कि जो लीज होल्ड को फ्री करने का सवाल है क्या इसमें दिल्ली के सारे एम०पीज० ने कहा है कि लीज सिस्टम को ऐबोलिश किया जाए?

श्रीमती मोहसिना किदवई : जितने भी दिल्ली के पब्लिक के नुमाइंदे हैं और खास तौर से हमारे एम०पीज० हैं सबने यही राय जाहिर की है कि लीज होल्ड को फ्री होल्ड में तबदील किया जाए खास तौर से वीकर सेक्शस के हितों को ध्यान में रखते हुए।

.Demolition of Mahavir Enclave in. Delhi

*87. SHRI M. KADHARSHA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to reply to Unstarred Question 2376 given in the Rajya Sabha on 8th May, 1987 and state:

(a) whether it is a fact that Mahavir Enclave in Delhi Cantonment area has been shown as a regularised colony at Sr. No. 390;

(b) if so, what are the reasons that the DDA pressed into action a group of about 200 men who went to Mahavir Enclave on 27th June, 1987 to demolish the authorised construction;

(c) what is the number and details of persons killed in the action and the extent of loss suffered by the residents of the authorised colony named Mahavir Enclave;

(d) whether the persons have since been compensated;

(e) if not, what are the reasons therefor;

(f) by when they are likely to be compensated; and

(g) what action has been taken against the officers who have ordered the demolition of the authorised colony and the steps taken by Government in this regard so that the DDA officials do not repeat such blunders?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI): (a) Yes, Madam.

(b) the demolition was carried out not in Mahavir Enclave but to clear the encroachment taking place in the recently taken over vacant land of DDA in village Mirzapur. This area is away from Mahavir Enclave and has not been regularised by the DDA.

(c) To control a violent mob, the police had to open fire in self-defence in which one person died. The loss due to demolition of unauthorised construction is not assessed.

(d) to (f) No, Madam, as the demolition was carried out to remove the unauthorised encroachment made on the DDA's land.

(g) In view of the reply to parts (d), (e) & (f), the question of taking any action against the DDA's officers does not arise.

SHRI M. KADHARSHA: Madam, what is the total number of unauthorised colonies in Delhi and how many such colonies have been regularised so far? Before demolishing, does the Government follow any norms for demolition? To the best of my knowledge, 407 unauthorised colonies were regularised and another 107 were regularised and given to the M.C.D. Why was action taken against Mahavir Enclave alone? What action has been taken against other unauthorised colonies?

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: As I have said, no action has been taken in Mahavir Enclave. Mahavir Enclave is an authorised colony. This incident occured in Mirzapur. It is away from Mahavir Enclave. It was unauthorisedly occupied by the people of that area. It was encroached upon after Sections 4 and 6 were promulgated. It was the land of the D.D.A. They encroached upon that land after notification. That is why the D.D.A. demolished.

SHRI M. KADHARSHA: Whether it is Mahavir Enclave or Mirzapur, I would like to know from the hon. Minister why the people were allowed to encroach upon D.D.A. or Government land. Why did they allow the people to occupy the land and to construct buildings? Why did the Government allow them to occupy the buildings? Why did the Government take action so late? If the action had been taken at the earliest stages, such violent incidents would no have occurred. Why is the Government laging behind in taking such action early?

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: The Government is taking all the steps which are necessary to demolish the unauthorised construction. एक बात मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह वेकेंट लैंड को देखें। हमने सैक्शन 4 और 6 की कार्रवाई की और जमीन डी० डी० ए० की हो गयी। अब थोड़ा सा एजुकेट उन को भी करना चाहिए। मैं माननीय मैम्बरान साहब से अपील करना चाहूंगी कि जो लोग बेईमानी करके एन्क्रोचमेंट करते हैं उनसे बात करनी चाहिए ताकि वह ऐसा न करें सरकार की तरफ से जो लीगल एक्शन होता है वह तो होता ही है मेरी दिक्कत यह है कि हम कुछ करना चाहते हैं हम कर नहीं पाते। मैं बताना चाहती हूं कि जब मैं हेल्थ मिनिस्टरी में थी तो जो हमारे मेडीकल इंस्टीट्यूट है उसमें हमारी जो नर्सेज हैं उनके पास क्वार्टर नहीं हैं, जो हमारे डाक्टर्स है उनके पास क्वार्टर नहीं हैं ? जो एम्स की जमीन है वह सारी एन्क्रोच की हुई है। जब उस अनोथोराइज्ड कब्जे को हटाते हैं तो पब्लिक परेशान होती है। बड़े सख्त आर्डर हैं कि जो वेकेंट लैंड है उसकी हिफाजत की जाये वहां कोई इन्क्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। हमारी तरफ से यह बराबर कोशिश है। यह इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं।

SHRI ALADI ARUNA alias V. ARUNACHALAM: On a point of order, Madam. Normally when a question is put in English, the hon. Minister is expected to reply in English if she is well-versed in English. Of course, she has every right to reply in any language. Normally the practice is that when she is well-versed in English...

THE DEPUTY CHAIRMAN: The The interpretation is available. He can listen in English also.

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: You cannot compel me to speak a particular language.

SHRI ALADI ARUNA alias V. ARUNACHALAM: I am not objecting to her replying in Hindi. That is a different thing. When the question is in English and she is well-versed in English, she can reply in English.

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: When you are free to speak in Tamil, what is the harm if I speak in Hindi? You cannot compel me to speak in English.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You can listen to the interpretation.

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: The headphones are for that purpose.

डा० श्रीमती नाजमा हेपतुल्ला : मैं यह पूछना चाहती हूं कि ह्यूमन कंसीडरेशन के ऊपर कितनी कालोनीज को रेगुलराइज किया गया है दिल्ली में ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : वीकर सैक्शन के जितने लोगों ने कब्जा किया था सन 80 से पहले वे सारी तकरीबन रेगुलराइज कर दी गयी हैं लेकिन जो नोटिफिकेशन के बाद कब्जा की गयी हैं उनको डी. डी. ए. डिमोलिश करता है यह कंटीन्युअस प्रोसैस है।

श्रीमती शान्ती पहाड़िया : मैं यह पूछना चाहती हूं कि एक कालोनी जिसे संगम बिहार कहते हैं तुगलकाबाद के पास संगम हरली से लेकर के उसके कई बार मकान तोड़े गये हैं। डी. डी. ए. ने उनको कोई मुआवजा दिया है क्या ? जब इन्होंने किसानों से खरीदा था उस वक्त इनको क्यों नहीं रोका गया ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : जैसा मैंने कहा डी. डी. ए० को हक है कि जो अनअथोरोइज्ड कालोनी हैं उनको डिमोलिश कर सकती है और करती है। यह महावीर इंक्लेव के बारे में है। एक-एक कालोनी का जवाब देना बहुत मुश्किल होगा ।

श्रीमती शान्ती पहाड़िया : इसमें कई लोग मर चुके हैं। उनके बढ़िया मकान बने हुए थे, उनको तोड़ दिया गया है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या उनको मुआवजा दिया जाएगा और जो आदमी इसमें मर गये हैं, उनके बारे में क्या कोई एक्शन लिया जाएगा ?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Not relevant. Shri Ghulam Rasool Kar.

श्री गुलाम रसूल कार : यह जाहिर बात है कि दिल्ली में आबादी का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यही वजरह है कि जिन लोगों के पास मकान नहीं हैं वे मकान बनाते जा रहे हैं और अथोराइज्ड कालोनियां तैयार होती जा रही हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए क्या गवर्नमेंट ने दिल्ली में कोई सर्वे कराया है कि दिल्ली के अन्दर कितने लोग बेमकान हैं और उनके बारे में गवर्नमेंट क्या सोचती है ? यह देखने में आता है कि लोगों को मकान नहीं मिलते हैं तो वे गैर-कानूनी तौर पर मकान बनाने लगते हैं। लेकिन यह भी शिकायत है कि कई ऐसे लोगों को मकान एलाट कर दिये जाते हैं : प्लाट एलाट कर दिये जाते हैं जिनके पास बीसियों मकान है। इसलिए मैं मिनिस्टर साहिबा से पूछना चाहता कि दिल्ली शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए क्या गवर्नमेंट ने जिन लोगों के पास मकान नहीं हैं उनका कोई सर्वे कराया है और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उनको मकानात देने के लिए गवर्नमेंट क्या सोचती है ?

شہری غلام رسول کار : یہ ظاہر بات ہے کہ دلی میں آبادی کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے - یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس مکان نہیں ہے وہ مکان بناتے جا رہے ہیں اور اناہورائزڈ کالونیاں تیار ہوتی جارہی ہیں - اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گورنمنٹ نے دلی میں کوئی سروے کرایا ہے- کہ دلی کے اندر کتنے لوگ بےمکان ہیں اور انکے بارے میں گورنمنٹ کیا سوچتی ہے - یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کو مکان نہیں ملتے ہیں تو وہ غیر قانونی طور پر مکان بنانے لگتے ہیں - لیکن یہ بھی شکایت ہے کہ کئی ایسے لوگوں کو مکان الاٹ کر دئے جاتے ہیں پلاٹ الاٹ کر دئے جاتے ہیں جنکے پاس بیسیوں مکان ہیں - اسلئے میں منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دلی شہر کی بڑھتی آبادی کو دیکھتے ہوئے کیا گورنمنٹ نے جن لوگوں کے پاس مکان نہیں ہیں انکا کوئی سروے کرایا ہے - اور میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ انکو مکانات دینے کیلئے گورنمنٹ کیا سوچتی ہے -]

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

श्रीमती मोहसिना किदवई : उपसभापति जी, दिल्ली की प्रोबलम, जैसे कार साहब ने फरमाया और जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूं, बढ़ती जा रही है। हमारे मुल्क में इतनी तेजी से अर्बेनाइजेशन होता जा रहा है और खास करके बड़े शहरों का और दिल्ली जैसे बड़े शहर का, कि मकानों की प्रोबलम बढ़ती जा रही है। हम लोगों को बसाने की कोशिश करते हैं। इंसान के लिए तीन चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान बहुत जरूरी है। मैं यह कह सकती हूं कि मकानों के बारे में बहुत देर में ध्यान दिया गया। लेकिन अब आपने देखा कि बजट स्पीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाउसिंग पर बहुत जोर दिया है। हाउसिंग के बारे में और हाउसिंग एक्टिविटीज के लिए हम जमीन एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोआपरेटिव सोसायटीज के जरिए भी कोशिश की जा रही है। जो हमारी रिसेटलमेन्ट कालोनीज हैं उनमें तो हम काम कर ही रहे हैं। जो हमारा गरीब तबका है उनको बसाने के लिए हम छोटे प्लाट देते हैं। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वीकर सेक्शन के लिए प्लाट देता है ताकि वे लोग वहां पर अपने मकान बना सकें। हाउसिंग के लिए एक नेशनल हाउसिंग बोर्ड है। हमारी नेशनल हाउसिंग पालिसी अभी फाइनेलाइज नहीं है, लेकिन वह भी जल्दी ही फाइनेलाइज होगी। सरकार चाहती है कि लोगों को हाउसिंग की फेसिलिटीज ज्यादा से ज्यादा तादाद में दी जाये। हमारी जो एन० सी० आर० की योजना है उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली के आसपास जो 12 टाउन्स हैं उनका विकास किया जाय ताकि वहां पर सारी फेसिलिटीज हों और इस तरह से दिल्ली में हाउसिंग की प्रोबलम कम हो सके।